

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0 ज्येष्ट, 06, 1925 शक सम्वत्

<u>उत्तरांचल शासन</u> <u>विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग</u> संख्या 179 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003 देहरादून, 27 मई, 2003

<u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग विधेयक, 2003 को दिनांक 16—04—2003 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन 2003 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति 🔄 अयोग अधिनियम, 2003 {उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 सन 2003}

अनुसूचित जातियों ्रि** के लिए आयोग की स्थापना और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय —एक प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति 🚧 🖰 आयोग अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह अधिसूचित होने की दिनांक से प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

इस अधिनियम में ---

2.

3.

- (क) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित आयोग से है;
- (ख) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;
- (ग) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है;
- (घ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है;
- (ङ) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष {तथा उपाध्यक्ष} भी सम्मिलित हैं;
- (च) "अनुसूचित जाति" ﴿***} का तात्पर्य भारत के संविधान में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों ﴿***} से हैं:
- (छ) "अनुसूची" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक से है।

अध्याय—दो उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति ﴿ﷺ अयोग

आयोग का गठन

राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी, जिसे उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति ﴿**} के रूप में जाना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा।

आयोग की संरचना

- {(1) आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सभी अनुसूचित जाति ्रि** के होंगे, जिनमें एक सदस्य महिला होगी। अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति ्रि** के योग्य पुरूष अथवा महिला पात्र हो सकते हैं। }
 - 1. उत्तरांचल अधिनियम सं० ०२ वर्ष २००४ की धारा २ द्वारा अन्तर्विष्ट।
 - 2. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
 - 3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 17 वर्ष 2015 की धारा 2 द्वारा निरसित।
 - 4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 17 वर्ष 2015 की धारा 3, 4, 5 तथा 6 द्वारा निरसित।

- (2) सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी, जिन्होंने अनुसूचित जातियों *** के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो।
- (3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्तियां अधिसूचित आदेश द्वारा की जायेंगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते

- (1) प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जब वह पद ग्रहण करे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
- (2) कोई सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
- (3) राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति :--
 - (क) अनुमाचित दिवालिया हो जाय,
 - (ख) किसी अपराध के लिए जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय;
 - (ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय;
 - (घ) कार्य करने से इनकार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय;
 - (ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमित प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे; या
 - (च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष, {उपाध्यक्ष} या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जातियों ्र के हित या लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को, इस खण्ड के अधीन, हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

- (4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।
- (5) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायें।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

6.

- (1) राज्य सरकार, आयोग को एक सचिव और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हों।
- (2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदान से किया जायेगा

सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का और धारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन को सिम्मिलित करते हुए प्रशासनिक व्ययों का भूगतान धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं करेंगी

आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य न होगी।

- 1. उत्तरांचल अधिनियम सं० ०२ वर्ष २००४ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित।
- 2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 17 वर्ष 2015 की धारा ६(ख) तथा ७ द्वारा निरसित।

- प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना
- (1) आयोग जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।
- (2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।
- (3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का {उपाध्यक्ष}¹ जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे, द्वारा तब तक निर्वहन किया जायेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं सम्भालता है।
- (4) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या पद निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।
- (5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जायेगा। 3

राज्य सरकार का 10. आयोग से परामर्श करना

राज्य सरकार अनुसूचित जातियों $\{ ** \}^3$ को प्रमाणित करने वाले समस्त मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय-तीन

आयोग के कृत्य और शक्तियां

आयोग के कर्तव्य एवं 11. कृत्य

- (1) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :--
 - (क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों *** के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना;
 - (ख) अनुसूचित जातियों 🚧 के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;
 - (ग) अनुसूचित जातियों $\{ ** \} ^3$ के समाजिक—आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
 - (घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
 - (ङ) अनुसूचित जातियों {**} के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक— आर्थिक विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ऐसे प्रविवेदन में उन उपायों के संबंध में जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करना;
 - (च) अनुसूचित जातियों {**} के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायें, निर्वहन करना।
- (2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।
 - उत्तरांचल अधिनियम सं० ०२ वर्ष २००४ की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
 - उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।
 - उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 17 वर्ष 2015 की धारा 8 तथा 9 द्वारा निरसित।

- आयोग की शक्तियां 12.
- किसी बात का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, प्राप्त होगी, अर्थात :—
- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने और जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने:
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने:
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने;
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने; और
- (च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।

अध्याय-चार

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

- राज्य सरकार द्वारा अनुदान
- (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक विनियोजन किये जाने के पश्चात, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे।
- (2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझे खर्च कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय समझा जायेगा।
- लेखा और लेखा परीक्षा
- 14. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।
 - (2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी जो उसका लेखा—परीक्षण करवायेगी।
- वार्षिक रिपोर्ट

15.

16.

- आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, ऐसे प्रपन्न में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का पूरा लेखा दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- वार्षिक रिपोर्ट और लेखा—परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी
- राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट, आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार किये जाने का कारण यदि कोई हो, और लेखा—परीक्षा रिपोर्ट यथावश्यक शीघ्र जैसे ही वे प्राप्त हों, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय—पांच प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, 17. {उपाध्यक्ष} सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे आयोग के अध्यक्ष, {उपाध्यक्ष}¹, सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

शास्ति जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से 18. बाध्य होते हुये जानबुझकर ऐसा नहीं करता है, सिद्धदोष होने पर यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया कोई न्यायालय, अध्यक्ष, {उपाध्यक्ष}¹ या किसी सदस्य या इस निमित्त आयोग द्वारा अपराधों का संज्ञान 19. प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान के सिवाय धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। सद्भावपूर्वक की गई किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन 20. कार्यवाहीं पर संरक्षण बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। नियम बनाने की राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये शक्ति नियम बना सकती है। विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात : (क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को और धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तैः धारा 12 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय;

- (ग) प्रपत्र जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार
- (घ) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 15 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी:
- कोई अन्य विषय, जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

कठिनाइयों को दूर यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य (1) 22. करने की शक्ति सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कििनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

- उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।
- उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड विधेयक, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तराखण्ड राज्य अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

(1) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 एतदद्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध कभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 का निरसन.

23.

THE UTTARAKHAND COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES {***} **ACT, 2003**

[UTTARAKHAND ACT NO. 08 OF 2003]

to constitute a commission for Scheduled Castes {***}³ of Uttarakhand and to provide for matters connected there with or incidental thereto:

AN**ACT**

Be it enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-1

		PRELIMINAY
Short title, Extent and Commencement	1	(1) This Act may be called the Uttarakhand Commission for the Scheduled Castes {***} Act, 2003.
		(2) It extends to the whole of Uttarakhand.
		(3) It shall be deemed to have come into force on the date of publication.
Definition	2	In this Act
		(a) "Commission" means the Commission constituted under section 3;
		(b) "The Governor" means the Governor of Uttarakhand.
		(c) "The State" means Uttarakhand State.
		(d) "The State Government" means the State Government of Uttarakhand.
		(e) "The Member" means the member of the Commission in which the Chairman [and Vice-Chairman] is also included.
		(f) "The Scheduled Castes" {***} means the Scheduled Castes {***} as notified in the Constitution of India.
		(g) "Schedule" means schedule one of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other

Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time. **CHAPTER-II**

THE UTTARAKHAND COMMISSION FOR THE SCHEDULED **CASTES** {***}⁴

Constitution of the Commission	3	The State Government shall constitute a body to be known as the Uttarakhand Commission for the Scheduled Castes {***} to exercise the powers conferred on and to perform the function assigned to it under this Act.
Composition of the Commission	4	[(1) The Commission shall consist of a Chairman, a Vice-Chairman and five Members Chairman Vice-Chairman and all Members of the Commission

- Members, Chairman, Vice-Chairman and all Members of the Commission, will be from amongst Scheduled Castes {***} including one woman member. Any male or female member belonging to Scheduled Castes {***} shall be eligible for the post of Chairman and Vice-Chairman.]²
- 1. Insertion by section 2 of Uttarakhand Act No. 02of 2004.
- 2. Subs. by section 3 ibid.
- 3. Repealed words by section 2 of Uttrakhand Act no. 17 of 2015.
- 4. Repealed words by section 3,4,5 and 6(a) of the Uttrakhand Act no. 17 of 2015.

- (2) The Chairman and Members shall be appointed from amongst persons of ability integrity and standing who have has a record of selfless service to the cause of justice for the Scheduled Castes {***}².
- (3) The appointments under sub-section (1) shall be made by a notified order.

Term of office and conditions of services of Members

- (1) Every member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.
 - (2) A member may, at any time by writing under his hand addressed to the State Government, resign from his office.
 - (3) The State government shall remove a person from the office of Member if that person:
 - (a) becomes an un discharged insolvent;
 - (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;
 - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
 - (d) refused to act or becomes incapable of acting;
 - (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meeting of the commission; or
 - (f) has, in the opinion of the State Government so abused the position of Chairman, [Vice-Chairman]¹ of Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of the Scheduled Castes {***}² or the public interest.

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given an opportunity of being heard in the matter.

- (4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.
- (5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of, the members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

- (1) The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.
- (2) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grant

7

8

The salaries and allowances payable to the Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 6 shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 13.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission

No act or proceeding of the commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

^{1.} Subs. by section 4 of Uttarakhand Act No. 02of 2004.

^{2.} Repealed words by section 6(b) and 7 of the Uttrakhand Act no. 17 of 2015.

Procedure to be regulated by the Commission

- (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the chairman may think fit.
 - (2) The Commission shall regulate its own procedure.
 - (3) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until he or the New Chairman assumes office, as the case may be, be discharged by the [Vice-Chairman] as directed by the State Government.
 - (4) All orders and decisions of the commission shall be authenticated to the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.
 - [(5) If the offices of both Chairman and Vice-Chairman become vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.]²

State Government to consult Commission 10

The State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Castes {***}³.

CHAPTER-III FUNCATIONS AND POWER OF THE COMMISSION

Duties and the functions of the Commission

- (1) It shall be the duty of the Commission:
 - (a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes {***}³ under the constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of such safeguards.
 - (b) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes $\{***\}^3$.
 - (c) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes {***}³ and to evaluate the progress of their development.
 - (d) to present to the State Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards.
 - (e) to make in such reports recommendation as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare, and socio-economic development of the Scheduled Castes {***}³.
 - (f) to discharge such other functions in relation to the protection welfare, development and advancement of the Scheduled Castes {***}³ as may be referred to it by the State Government.
 - (2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before the State Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non acceptance, if any, of the such recommendations.
 - 1. Substituted by section 5 of Uttarakhand Act No. 02of 2004.
 - 2. Added by section 6 ibid.
 - 3. Repealed words by section 8 and 9 of the Uttrakhand Act no. 17 of 2015

Powers of the 12 The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause Commission (a) or inquiring into any complaint referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 11 have all the powers of a Civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely: (a) summoning and enforcing attendance of any person and examining him on oath; (b) requiring the discovery and production of any document; (c) receiving evidence on affidavits; (d) requisitioning any public record or copy thereof from any office; (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and any other matter that may be prescribed. **CHAPTER-IV** FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT Grants by the 13 (1) The State Government shall after due appropriation made by the State State Govt. Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by the way of utilized for the purposed of this Act.

grants such sums of money as the State Govt. may think fit for being

(2) The Commission out of the grant referred to in sub-section (1) may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and Audit

- The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such from as may be prescribed.
- (2) A copy of the annual statement of accounts shall be forwarded to the State Government which shall cause it to be audited.

Annual Report

14

15

16

17

The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual Report and Audit Report to be laid before the State Legislature

The State Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission and the reason for the non acceptance, if any, of such advice, and the audit report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the State Legislature.

CHAPTER-V MISCELLANEOUS

Chairman, [Vice-Chairman1¹ Members and **Employees** of Commission to be public servant

The Chairman, Members and Employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

1. Subs. by section 4 of Uttarakhand Act No. 02of 2004.

Penalty.

Whoever being legally bound to obey any order of the Commission under section 12, intentionally omits to do so, shall on conviction be punished under sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of Indian Penal Code, 1860, as the case may be.

Cognizance of offences

No court shall take cognizance of an offence specified in section 18 except on a complaint in writing of the Chairman, [Vice-Chairman]¹ or a Member or of an officer authorized by the Commission in this behalf.

Protection of 20 action taken in good faith

18

19

21

22

23

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under.

Power to make Rules

- (1) The State Government may, be notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters namely:
 - (a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Members under sub-section (5) of section 5 and the officers and other employees under sub-section (3) of section 6;
 - (b) any other matter under clause (f) of section 12;
 - (c) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (1) of section 14;
 - (d) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section15;
 - (e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Power to remove difficulties.

If any --

- (1) Difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.
- (3) Every order made under sub-section (1) shall as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act,1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttarakhand Act.

Repeal and savings Repealing of Uttarakhand Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 2001

- (1) The Uttarakhand Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 2001 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the Act referred to in sub section (1) shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

1. Subs. by section 4 of Uttarakhand Act No. 02of 2004.